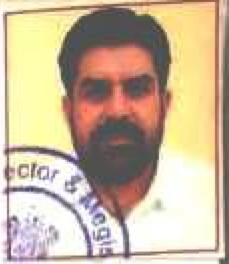

फार्म – ब

{देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)}

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(3)(21)राज/13/ दिनांक :– – मई, 2013

–:: संपरिवर्तन आदेश ::–

आवेदक जाट शिक्षा समिति रावतसर जरिये सचिव कैलाश चन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ के आवेदन पर उनकी खातेदारी भूमि चक 7 बी.पी.एस.एम. ग्राम पंचायत 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार रावतसर, तथा सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड रावतसर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार है :–

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :– जाट शिक्षा समिति रावतसर जरिये सचिव कैलाश चन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य हैं :– नहीं

3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–

   (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :– चक 7 बी.पी.एस.एम. ग्राम पंचायत 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

   (ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर/ वर्गमीटर में) :–

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
209/53 (4)	6/.164, 7/.253, 14/.253 15/.177	0.847 हैक्टर, (8470 वर्गमीटर)

   (ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में) :– चक 7 बी.पी.एस.एम. ग्राम पंचायत 4 सी.वाई.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
209/53 (4)	6/.164, 7/.253, 14/.253 15/.177	0.847 हैक्टर, (8470 वर्गमीटर)

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :– **शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ।**

5. संदेय प्रीमियम की दर :– बैयनामा दस्तावेज दिनांक 15.05.2012 के आधार पर 8470 वर्गमीटर भूमि की मालियत 3,14,089 का 10% की दर से 5.39/– प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :–

चालान संख्या	दिनांक	रूपये
14	05.04.2013	45,738/–

7. चालान की संख्या तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, तो जमा कराई गई रकम :– शुन्य

8. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :– नहीं

9. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :– – –

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

   (i) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

लगातार 2

(ii) यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(iii) नियम – 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

(iv) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(v) शिक्षण संस्थान का निर्माण राष्ट्रीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सड़क सीमा के पश्चात् किया जाएगा, भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाये जानें के दौरान यदि सड़क सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जावेगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

(vii) उपरोक्त सभी शर्तो की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिये प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।

– ह. –
(सुबीर कुमार)
जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

Distt. Collector & Magistrate Hanumangarh

Seal of the Prescribed Authority

क्रमांक :– एफ.12(3)(21)राज/13/3360-65 दिनांक :–09– मई, 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित सम्परिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जाने हेतु सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।
2. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर को उनके पत्रांक रूपान्तरण/013/999 दिनांक 02.05.2013 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त सपरिवर्तन आदेश का राजस्व अभिलेख मे नियमानुसार अंकन करना सुनिश्चित करें।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उप–खण्ड रावतसर को उनके पत्र क्रमांक 24 दिनांक 02.05.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
4. ग्राम सेवक एवम् पदेन सचिव ग्राम पंचायत 4 सी.वाई.एम. पंचायत समिति रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
5. आवेदक जाट शिक्षा समिति रावतसर जरिये सचिव कैलाश चन्द्र पुत्र भादरराम जाति जाट तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. रक्षित पत्रावली।

(बी.एल. मेहरड़ा)
अति.जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़